संख्या-113/2024/I/701721/2024/71-3099/44/2023-03

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 26 जुलाई, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र सहायतित योजनान्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों-अयोध्या/ललितपुर/हरदोई/अमेठी/सिद्धार्थनगर/देवरिया/लखीमपुर खीरी में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु राज्यांश की धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2024-25/52, दिनांक 07.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों-अयोध्या/ललितपुर/हरदोई/अमेठी/सिद्धार्थनगर/देवरिया/लखीमपुर खीरी में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-28-राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज हेतु मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित बजट रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश (प्रति नर्सिंग कालेज रू0 200.00 लाख) के समतुल्य 40 प्रतिशत मैंचिग राज्यांश प्रति नर्सिंग कालेज रू0 133.3333 लाख, कुल रू0 933.3331 लाख (133.3333X7 = 933.3331) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत **स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों**-अयोध्या/ललितपुर/हरदोई/अमेठी/सिद्धार्थनगर/देवरिया/लखीमपुर खीरी में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-28-राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज हेतु मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित बजट रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश (प्रति नर्सिंग कालेज रू0 200.00 लाख) के समतुल्य 40 प्रतिशत मैंचिग राज्यांश प्रति नर्सिंग कालेज रू0 133.3333 लाख, कुल रू0 933.3331 लाख (133.3333X7 = 933.3331) की धनराशि **(रू0 नौ करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ दस मात्र)** की धनराशि राज्यांश के रूप में एस0एन0ए0 एकाउण्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तांतरित की जायेगी।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. नर्सिंग कालेजों हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,33,33,310 (रुपये नौ करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ दस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058928 राजकीय मेडिकल कालेज /स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-60/दस-2024-25, दिनांक 15.07.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

//shasanadesh.up.nic.in

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. उप निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-जेड.28015/89/2023-एन, दिनांक 21.08.2023 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/ललितपुर/हरदोई/अमेठी/ सिद्धार्थनगर/देवरिया/लखीमपुर खीरी।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0 /यू0पी0 स्टेट कास्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेमेण्ट का0 लि0 (उ0प्र0 समाज कल्याण निगम)/ कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज जल निगम , लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या/ललितपुर/हरदोई/अमेठी/ सिद्धार्थनगर/देवरिया/लखीमपुर खीरी।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या/ललितपुर/हरदोई/अमेठी/सिद्धार्थनगर/देवरिया/लखीमपुर खीरी।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।